

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर जिला-सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / 824 दिनांक 0.11.2021

आदेश
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार लोतम के आधार पर ग्राम खूज प.ह. खूज
डी प्रो. नं. ख. नं. 1571 ता 1574.. इ खाले हा (डाना पुज मंगल)
के स्थान पर कानाराम पुज मंगलाराम दर्ज करने के आदेश दिये
जाते हैं। जिले की न्यायालय का स्थगन नहीं तो राजस्व में अमल
ब्रामड करें। शेष जमावकी बरदस्तूर रहे।

तहसीलदार दांतारामगढ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ
राज्य सरकार की सेवा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर